

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली  
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रकमसिंह मीना पुत्र श्री रामनाथ मीना निवासी तुरसंगपुरा, तहसील सपोटरा  
जिला करौली (राज0) मो.नं. 8588810850 - अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सपोटरा - प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

**निर्णय**

दिनांक-02.03.2021

1. अपीलार्थी को दिनांक 17.02.2021, 24.02.2021, 02.03.2021 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम तुरसंगपुरा के राजस्व नक्शा, सर्वे मार्क, खसरा नं. 161 की खसरा गिरदावरी, फील्डबुक व राजस्व नक्शा, ग्राम तुरसंगपुरा की कुल भूमि मय वर्गीकरण आदि कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-रीडर/2021/25 दिनांक 16.02.2021 से सूचना तैयार कर इस न्यायालय में प्रेषित करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान की जा चुकी है। बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर  
करौली